सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांकः एस०एस०वि०वि०/कु०स० 761/2021 दिनांकः 19.05.2021

कार्यालय–ज्ञाप

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के पत्रांक–1107/सत्तर–3–2021–08(20)/2020 दिनांक 18 मई, 2021 द्वारा कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को दिनांक 21.05.2021 से संचालित किये जाने के सम्बन्ध में अधोलिखित निर्णय लिये गये हैं–

1. पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सभी कक्षायें/शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर दिनांक 20.05.2021 से ऑनलाइन संचालित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में छात्र/छात्राओं की उपस्थिति नहीं होगी।
2. प्रदेश के सर्वोत्तम शिक्षकों द्वारा उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में अपलोड किये गये उत्कृष्ट ई–कन्टेण्ट को सर्वाधिक उपयोग करने हेतु छात्र/छात्राओं को प्रेरित किया जाये।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय परिसर में शिक्षकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय/सम्बन्धित प्राचार्य द्वारा निर्णय लिये जाने का निर्देश प्रदान किया गया है। उक्त के क्रम में नगर एवं परिसर की स्थिति के दृष्टिगत कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय परिसर के सन्दर्भ में घर से ही आनलाईन कक्षायें संचालित करने का निर्देश प्रदान किया गया है।
4. शिक्षकों/छात्रों के संक्रमित होने अथवा नेगेटिव रिपोर्ट के बाद किसी अन्य चिकित्सीय कठिनाई के समय उक्त छात्र–शिक्षक को पठन–पाठन ऑनलाइन जारी रखने अथवा न रखने के सम्बन्ध में माननीय कुलपति महोदय/सम्बन्धित प्राचार्य कोविड–19 गाइडलाइन के अनुसार अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे।
5. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में कार्यरत समूह–'ख', 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों की 50% उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जाये कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट (वैकल्पिक) रूप में कार्यालय आयें तथा शेष 50% कार्मिक घर से ही कार्य (Work from Home) निष्पादित कराने के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर में कार्यरत समूह–'ख', 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों की 50% उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु समस्त विभागीय प्रमुखों/अधिकारियों/अधीक्षकों एवं प्रभारियों को निर्देश दिया जाता है कि –
   1. कार्यालयों के विभागीय प्रमुख/अधीक्षक से अपेक्षा है कि वे कार्यहित कार्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस में समूह 'ग' एवं 'घ' के 50% कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारियों का रोस्टर बनाकर उन्हें कार्यालय मे उपस्थित होने का निर्देश दें। साथ ही जो कार्मिक रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहें उनको यह निर्देश दिया जाय कि वे इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पक में रहेंगे, जिससे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सके। कोई भी कर्मी बिना अधिकारिक अनुमति के मुख्यालय से बाहर नहीं जाएगें।

2. सेवा प्रदाता फर्म द्वारा विश्वविद्यालय में तैनात सभी कर्मी (मैनपावर/माली/सुरक्षा/सफाई कर्मी) प्रत्येक कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित होंगे।

इस पर माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

संलग्न–यथोक्त।

कुलसचिव
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष।
3. पुस्तकाध्यक्ष।
4. छात्रकल्याण संकायाध्यक्ष।
5. निदेशक, प्रकाशन/अनुसंधान संस्थान।
6. परीक्षा नियंत्रक।
7. विनयाधिकारी।
8. सिस्टम मैनेजर को इस आशय से उक्त कार्यालय–ज्ञाप समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को उनके लॉगिन–आई॰डी॰ के माध्यम से प्रेषित कराने तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
9. प्रबन्धक/प्राचार्य समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को इस आशय से कि शासनदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
10. उपकुलसचिव (परीक्षा/शैक्षिक)।
11. समस्त सहायक कुलसचिवगण।
12. आशुलिपिक कुलसचिव/वित्त अधिकारी।
13. अधीक्षक (प्रशासन/लेखा)।
14. सम्पत्ति अधिकारी।
15. जनसम्पर्क अधिकारी।
16. उद्यान अधीक्षक।
17. समस्त विभागानुभाग।
18. सम्बद्ध पत्रावली।

कुलसचिव
सं०सं०वि०वि०, वाराणसी